# पेइंग गेस्ट योजना

## (पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार)

प्रदेश में पर्यटन की बढ़ती हुई गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार के पर्यटन विभाग की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश में पेइंग गेस्ट योजना लागू की जा रही है।

**उद्देश्य–**

इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के चिन्हित बल क्षेत्रों में स्थित पर्यटक स्थलों में पर्यटकों के लिये आवश्यक आवासीय सुविधाओं में वृद्धि के साथ ही साथ ऐसे भवन स्वामियों, जिनके पास पर्यटकों को रूकवाने हेतु अतिरिक्त कमरे उपलब्ध हों, को अतिरिक्त आय का साधन उपलब्ध कराया जाना है। इससे स्वतः रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के लागू हो जाने से ऐसे मौजूदा पर्यटन स्थल, जहॉ पर फिलहाल किसी प्रकार की आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है, में भी देशी/विदेशी पर्यटकों को रूकने के लिये सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इससे अन्य प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होगें ।

**परिभाषा–**

पेइंग गेस्ट योजना का तात्पर्य है कि किसी निजी मकान मालिक द्वारा अपने धर का एक हिस्सा (कुछ कमरे) पर्यटकों को किराये पर उपलब्ध कराया जायेगा । मकान मालिक कमरे उपलब्ध कराये जाने के साथ ही पर्यटक को नाश्ता/भोजन की भी सुविधा उपलब्ध करा सकेगा एवं कमरे का किराया एवं भोजन आदि के लिये आवश्यक निर्धारित धनराशि पर्यटकों से प्राप्त कर सकेगा।

**शर्ते–**

किसी भी निजी भवन स्वामी के भवन में पेइंग गेस्ट योजना लागू किये जाने की निम्न शर्ते होगी :-

(१) सम्बन्धित भवन पर उसका पूर्णरूपेण निजी स्वामित्व होना चाहिये ।

(२) भवन पर किसी भी प्रकार का झगड़ा/विवाद लम्बित नही होना चाहिये।

(३) भवन ऐसी जगह/सड़क पर स्थित हो जहॉ पर यातायात द्वारा सुविधापूर्वक पहुँचा जा सकें

(४) भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में न हो बल्कि उसका रख-रखाव उच्चस्तर का हो। भवन की परिभाषा में पुरानी हवेली आदि भी सम्मिलित है।

(५) भवन के अन्दर एवं आसपास उत्तम स्तर की स्वच्छता हो तथा किसी प्रकार से प्रदूषण का खतरा न हो ।

(६) सिंगल आवासीय कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल १०० वर्गफुट, एवं डबल आवासीय कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल १२० वर्गफुट होना चाहिये ।

(७) निजी भवन में कम से कम ३ कमरों के मध्य एक लैट्रिन एवं बाथरूम अवश्य हो।

(८) निजी भवन में पानी,बिजली फ्लश लैट्रिन एवं अन्य आवश्यक सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिये।

(६) किसी भी निजी भवन स्वामी को इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम ५ कमरे किराये हेतु व्यवस्थित करने की अनुमति होगी ।